

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल**

---

क्रमांक : एफ 4-6/2007/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2007

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

\*\*\*

राज्य शासन द्वारा अपने पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ4-2/2007/नियम/चार, दिनांक 10 अप्रैल, 2007 द्वारा दिनांक 1-4-2007 से मूल पेंशन तथा मंहगाई पेंशन / परिवार पेंशन पर 20 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है । राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि पेंशनरों को प्राप्त हो रही मंहगाई राहत दिनांक 1-9-2007 (माह सितम्बर, 2007 की पेंशन माह अक्टूबर, 2007 में देय ) से 26% की दर से स्वीकार की जाये ।

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring) , असमर्थता (Invaild) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन / परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति / पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 12-5/2007/नियम/चार दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सरांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन ) पर देय होगी ।

PTO

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं ।

5/ महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों /उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्रं. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर महँगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( ए.पी. श्रीवास्तव )

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

**Government of Madhya Pradesh  
Finance Department  
Mantralaya - Bhopal**

-----

No.F 4-6/2007/Rule/IV

Bhopal, dated August, 2007

All Department of Government  
The President of Board of Revenue, Gwalior,  
All Commissioners of Divisions,  
All Heads of Department,  
All Collectors,  
Madhya Pradesh

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Madhya Pradesh .

--\*\*\*--

The State Government had sanctioned 20 % dearness relief on basic pension and dearness pension / family pension to their pensioners vide Finance Department Memo No. F-4-2/2007/Rule/IV dated 10 April, 2007. The State Government have now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned @ 26 % w.e.f. 1-9-2007 ( Pension of the month of September, 2007 payable in October, 2007 ) .

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's MemoNo.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5-10-76 . The dearness relief on the pension /family pension shall not be payable in the cases where the pensioners/ family pensioners are appointed/re- appointed under the State Government or autonomous institutions . This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department 's Memo No.F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. No.F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. F-12-5/2007/Rule/IV dated 19-4-2007

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3<sup>rd</sup> commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007 .

5. Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief, shall be rounded off to the next rupee.

PTO

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disburing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29<sup>th</sup> January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Madhya Pradesh . If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month .

**By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh**



**( A.P.Shrivasteva )  
Secretary,  
Government of Madhya Pradesh  
Finance Department**

पृ.क्रमांक:एफ 4-6/2007/चार/नियम  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2007

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ( 200/100 प्रतियां )।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवनमण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां )
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (1500 प्रतियां )
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (400 प्रतियां )
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (300 प्रतियां )
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां )
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां )
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, जवाहर भवन, रोशनपुरा नाका, भोपाल-462003 (200 प्रतियां )
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां )
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां )
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां )
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, सेंट्रल जोन-2, गंगोत्री काम्प्लेक्स, टी.टी.नगर, पोस्ट बॉक्स नं.-320, भोपाल-462003, (150 प्रतियां )
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां )

की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 33 हेतु)

34. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर
35. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद
36. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
37. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
38. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
39. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
40. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चैनई, 600 018
41. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
42. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
43. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
44. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
45. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
46. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
47. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
48. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
49. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
50. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
51. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
52. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
53. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
54. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
55. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
56. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
57. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्तांक, 717 101
58. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन,  
( सरल क्रमांक 34 से 58 तक 2 प्रतियों सहित )
59. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लाक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 ( 100 प्रतियां )
60. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) गुजरात, राजकोट 360 001 ( 100 प्रतियां )
61. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 ( 250 प्रतियां )
62. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 ( 50 प्रतियां )
63. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) मेघालय, मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001  
( 20 प्रतियां )
64. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) मणीपूर, इम्फाल 795 001 ( 20 प्रतियां )
65. प्रधान महालेखाकार,-2, ( लेखा एवं हक ) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001  
( 75 प्रतियां )
66. प्रधान महालेखाकार,-1, ( लेखा एवं हक ) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002  
( 35 प्रतियां )
67. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039  
( 240 प्रतियां )
68. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 ( 150 प्रतियां )
69. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 ( 100 प्रतियां )
70. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, 400 020 ( 100 प्रतियां )

71. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर मुंबई 440 001  
( 100 प्रतियां )
72. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002  
( 150 प्रतियां )
73. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 ( 150 प्रतियां )
74. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 ( 70 प्रतियां )
75. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 ( 60 प्रतियां )
76. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गोटन कंसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां )
77. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001  
( 200 प्रतियां )
78. महालेखाकार-3, ( लेखा एवं हक ) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 ( 50 प्रतियां )
79. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 ( 200 प्रतियां )
80. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001  
( 200 प्रतियां )
81. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 ( 50 प्रतियां )
82. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 ( 25 प्रतियां )
83. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 ( 50 प्रतियां )
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717 101  
(20 प्रतियां )
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक ) उत्तरांचल, देहरादुन (200 प्रतियां)
86. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विप, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
87. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
88. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
89. सहायक मिलीट्री एटेंची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू नेपाल -1 (50 प्रतियां)
90. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 (10 प्रतियां )
91. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
92. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां )
93. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 ( 200 प्रतियां )

Ramp

(पी.सी. वर्मा)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग